उल्लेख किया गया है कि विक्रेता द्वारा लाभूकों को 02 से 03 किलोग्राम खाद्यान्न कम उपलब्ध कराया जाता है। इस पर विक्रेता से स्पष्टीकरण मांग की गई है। विक्रेता द्वारा दिनांक 22.04.2020 को समर्पित स्पष्टीकरण में स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा लाभूकों को कम अनाज दिया जाता है।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पुनः दिनांक 25.04.2020 को समर्पित प्रतिवेदन में विक्रेता द्वारा लाभूकों को कम अनाज दिये जाने के आरोप में अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति को निलंबित करने का अनुशंसा किया गया। इसी आधार पर अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति को जिला आपूर्ति कार्यालय के ज्ञापांक 450 दिनांक 27.07.2020 द्वारा निलंबित किया गया।

अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा द्वारा दिनांक 31.07.2020 को समर्पित मन्तव्य में उल्लेख है कि विक्रेता (अपीलकर्त्ता) द्वारा दाखिल जवाब संतोषप्रद नहीं है। इनके द्वारा समर्पित वितरण पंजी की छायाप्रति प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित नहीं है। आदेश में यह भी उल्लेख है कि अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति को अनुमंडल पदाधिकारी, आपूर्ति शाखा, दुमका के आदेश संख्या– 75/13 ज्ञापांक 453 दिनांक 24.06.2013 के द्वारा खाद्यान्न वितरण के अनियमितता बरते जाने के कारण निलंबित किया गया था तथा आदेश संख्या 94 ज्ञापांक 676 दिनांक 20.08.2013 के द्वारा खाद्यान्न वितरण में पुर्नरावृति न हो ऐसी कड़ी चेतावनी के साथ एक मौका प्रदान करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया था। यह भी हिदायत दिया गया था कि विक्रेता द्वारा इस प्रकार भविष्य में गलती की पुर्नरावृति की जाती है तो विक्रेता के अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए रद्द की कार्रवाई की जाएगी। चेतावनी के बावजूद भी अपीलकर्त्ता द्वारा खाद्यान्न वितरण में सुधार

नहीं किया गया जो खाद्यान्न सुरक्षा के अधिनियम के विरूद्ध है। इसी आधार पर अपीलकर्त्ता के जनवितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त संचिका में उपलब्ध प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा द्वारा 24 कार्डधारियों का ब्यान से साथ प्रतिवेदन दिनांक 25.04.2020 को समर्पित किया गया है जिसमें अधिक्तर कार्डधारियों में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न दिये जाने का ब्यान दिया गया है। इस प्रतिवेदन में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति को तत्काल से निलंबित करने का अनुशंसा किया गया है किन्तु उनके द्वारा दिनांक 31.07.2020 को समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि सिमलुती ग्राम का प्रधान, पत्ताबाड़ी गांव का कार्ड सदस्य तथा सबसे बढ़कर पंचायत के मुखिया का संतुष्टि का सहमति प्राप्त है, पूर्व में ये काफी मजबूत डीलर रहें है क्योंकि इनका लिखित शिकायत कभी नहीं रहा है। उनके द्वारा अपीलकर्त्ता को सख्त एवं कड़ी चेतावनी देने के साथ एक मौका देने का अनुशंसा किया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित इन दोनों प्रतिवेदन में विरोधाभाष है। चुँकि डीलर के विरूद्ध ग्रामीणों द्वारा दिये गये आवेदन में प्रधान, सिमलुती प्रधान पत्ताबाड़ी, ग्राम पंचायत बरमसिया के वार्ड नं0 02 एवं 03 (पत्ताबाड़ी) के वार्ड सदस्य का भी हस्ताक्षर है।

इस प्रकार अभिलेख में उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा से 02 से 03 किलोग्राम कम खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है। उन्हें पूर्व में भी इस संबंध में चेतावनी दी गई है फिर भी अपीलकर्त्ता द्वारा खाद्यान्न वितरण में सुधार नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जिला

आपूर्ति पदाधिकारी Licensing Authority नहीं है किन्तु झारखण्ड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का अधिसूचना "झारखण्ड लक्षित जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019" के अनुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी उचित मूल्य दूकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुज्ञापन पदाधिकारी हैं अधिसूचना के अनुसार नियंत्रण आदेशों के प्रावधानों को लागू करने के साथ–साथ जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य के विक्रेता को अनुज्ञप्ति निर्गत/स्वीकृत करने, पहचान पत्र निर्गत करने, अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्त्तों, कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्व का पालन कराने, अनुज्ञप्ति निलंबित करने एवं अनुज्ञप्ति रद्द करने की शक्ति अनुज्ञपान पदाधिकारी में निहित रहेंगें।

ऐसी स्थिति में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। इस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील सं0– 05/2020–21

सुखेन मंडल ..... अपीलकर्ता

बनाम्

राज्य सरकार .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

04 /12/2020 यह रे0मि0 (जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति रद्द) अपील वाद सुखेन मंडल सा0 बरमसिया थाना शिकारीपाड़ा बनाम् सरकार के बीच जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश संख्या– 180/2020 ज्ञापांक 808/जि0आ0 दिनांक 25.08.2020 के विरूद्ध दायर किया गया है जिसके द्वारा अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है।

मैंने अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता को सक्षम अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति संख्या– 32/1990 निर्गत की गई है। तब से वह सुचारू रूप से जन वितरण प्रणाली दूकान का संचालन कर रहें है। कुछ लोग प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से मिलकर प्रतिवेदन तैयार करवाया गया कि अपीलकर्त्ता कार्डधारियों को 02 से 03 किलोग्राम राशन कम देते है। इस पर अपीलकर्त्ता को जिला आपूर्ति कार्यालय से कारण–पृच्छा की नोटिश निर्गत किया गया। अपीलकर्त्ता के द्वारा कारण–पृच्छा भी दाखिल किया गया है। कार्डधारियों के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन जिसमें मुखिया, प्रधान एवं वार्ड